संख्या-05/2020/302/46-1-2020-1000(27)/2018

प्रेषक,

बच्चू लाल,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिला गन्ना अधिकारी/ बीज उत्पादन अधिकारी,
मुजफ्फरनगर, बिजनौर, अमरोहा, बरेली, लखीमपुर, बलरामपुर, बहराइच तथा बस्ती।

चीनी उद्योग अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 05 मार्च, 2020

विषयः- अंशदायी आधार पर कृषि विपणन सुविधाओं के लिये अन्तर्ग्रामीण निर्मित सम्पर्क मार्गों का सुदृढ़ीकरण (जिला योजना) के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान संख्या-83 (एस.सी.एस.पी.) के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष द्वितीय किश्त की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आयुक्त, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विभाग, उ.प्र. के पत्र संख्या-1140/12-निर्माण:अ.ग्रा., दिनांक 30-01-2020 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अंशदायी आधार पर कृषि विपणन सुविधाओं के लिये निर्मित सम्पर्क मार्गों का सुदृढ़ीकरण हेतु निर्धारित फंडिंग पैटर्न 80:20 के अनुसार 80 प्रतिशत राज्यांश के रूप में चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू.274.00 लाख के सापेक्ष 11 सम्पर्क मार्गों हेतु संलग्नक के स्तम्भ-5 में अंकित संशोधित लागत रू.342.497 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुए शासनादेश संख्या-39/2019/1260/46-1-19-1000(27)/2018, दिनांक 30.09.2019 द्वारा प्रथम किश्त के रूप में स्वीकृत की गयी धनराशि रू.136.999 लाख का कालम-7 के अनुसार समायोजन/पुर्नआवंटन करने के उपरान्त संलग्नक के स्तम्भ-8 में द्वितीय किश्त के रूप में धनराशि रू.136.999 लाख अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के साथ सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) परिषद अंश की धनराशि की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उपरान्त ही जनपद विशेष के लिए स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष उसी सीमा तक धनराशि आहरित की जायेगी, जिस सीमा तक जनपद की जिला योजना में धनराशि का प्राविधान/आवंटन किया जा रहा है।

(2) जिला गन्ना अधिकारी/बीज उत्पादन अधिकारी द्वारा राज्यांश का भुगतान तभी किया जायेगा जब सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किये गये आगणनों के अनुसार ही व्यय किया गया होने की पुष्टि कर दी जाय।

(3) कार्य की विशिष्टियॉ मानक व गुणवत्ता के साथ कराये जाने की जिम्मेदारी संबंधित कार्यदायी संस्था तथा जिला गन्ना अधिकारी/बीज उत्पादन अधिकारी की होगी। निहित प्रयोजन से यदि कोई धनराशि अवशेष बचती है, तो उसे व्यय करने के संबंध में प्रस्तर-1 के अनुसार शासकीय अंशदान के सापेक्ष जिला अनुश्रवण समिति के अतिरिक्त कार्ययोजना स्वीकृत कराकर उस पर शासन का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा। अन्यथा की स्थिति में अवशेष धनराशि चालू वित्तीय वर्ष में ही वित्त विभाग को समर्पित की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(4) समस्त कार्यों हेतु कार्यदायी संस्था, अभियंत्रण शाखा कार्यालय गन्ना आयुक्त, उ.प्र. होगी। समस्त कार्य निर्धारित एवं अनुमोदित मानकों तथा विशिष्टियों के अनुरूप चालू वित्तीय वर्ष में सम्पादित कराये जायेंगे। यदि किसी अपरिहार्य परिस्थितिवश निर्धारित मानकों/विशिटियों में परिवर्तन किया जाना अपेक्षित हो तो उक्त परिवर्तन/विचलन स्वीकृत मूल आगणन में 5 प्रतिशत की सीमा तक अवर अभियन्ता/सहायक अभियन्ता द्वारा तैयार विचलन जिला गन्ना अधिकारी/अधिशासी अभियन्ता की संस्तुति पर अधीक्षण अभियन्ता द्वारा तथा 5 प्रतिशत से अधिक के विचलन/व्याधिक्य पूर्ति हेतु स्वीकृति अधीक्षण अभियन्ता की संस्तुति पर मुख्य अभियन्ता के द्वारा इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जायेगी कि प्रस्तावित कार्योंके विचलन/व्याधिक्य पूर्ति हेतु बजटीय प्राविधान संबंधित जनपद के अन्तर्गत उपलब्ध है।

(5) सेंटेज चार्जेज की धनराशि शासनादेश संख्या-ए-2-23/दस-2011-17(4)/75, दिनांक 25-01-2011 तथा शासनदेश संख्या-ए-1606/दस-2014-17(4)/75, दिनांक 11-11-2014 की व्यवस्थानुसार अनुमन्य होगी। शासनादेश के संलग्नक के कालम-7 में अंकित सेटेंज की धनराशि जिला गन्ना अधिकारी/बीज उत्पादन अधिकारी द्वारा कोषागार से आहरित कर सीधे ही कार्यदायी संस्था, अभियन्त्रण शाखा, कार्यालय गन्ना आयुक्त, उ.प्र. को दी जायेगी।

(6) उक्त योजना के अन्तर्गत संचालित कार्यक्रमों के अन्तर्गत अनुदान बजट में निर्धारित सीमा के अन्दर किया जायेगा तथा योजना के संचालन का मूल्यांकन करते हुए उसकी रिपोर्ट शासन/वित्त विभाग को वित्तीय वर्ष की समाप्ति (दिनांक 31.03.2020) से पूर्व अनिवार्य रुप से उपलब्ध कराया जायेगा।

(7) आवंटित धनराशि को किसी ऐसे मद में न व्यय किया जाय, जिसके लिए फाइनेन्शियल हैन्ड बुक/बजट मैनुअल तथा स्टोर परचेज के नियम के अन्तर्गत शासन या अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। ऐसा व्यय अपेक्षित स्वीकृति प्राप्त करके ही किया जाय। इस संबंध में वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22-03-2019 एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों/आदेशों तथा बजट मैनुअल के प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(8) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व प्रायोजना पर सक्षम स्तर से एप्रेजल (Appraisal) एवं तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(9) स्वीकृति धनराशि प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में व्यय की जायेगी जिस कार्य/मद हेतु स्वीकृत की गयी है। ऑकड़ों की शुद्धता एवं धनराशि की अनुमन्यता सुनिश्चित करेंगे।

(10) यह सुनिश्चित करेंगे कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है।

(11) कार्य की विशिष्टयॉ मानक व गुणवत्ता आदि सुनिश्चित किया जायेगा तथा यथासमय उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया जायेगा।

(12) योजना में निहित राज/सहायता अनुदान का लेखा-जोखा रखने तथा प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र/व्यय-विवरण महालेखाकार, इलाहाबाद तथा वित्त विभाग एवं शासन को नियमित रूप से उपलब्ध कराने एवं महालेखाकार, इलाहाबाद से लेखाओं के नियमित मिलान की कार्यवाही

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

सुनिश्चित कराने का उत्तरदायित्व जिला गन्ना अधिकारी/वित्त नियंत्रक, कार्यालय गन्ना आयुक्त, उ.प्र., लखनऊ का होगा।

(13) स्वीकृत धनराशि एकमुश्त आहरित न कर धनराशि का आहरण निर्माण कार्य हेतु तत्कालिक आवश्यकता होने पर ही आवश्यक धनराशि आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा कोषागार से आहरण कर कार्यदायी संस्थाओं को उपलब्ध करायी जाय। आहरित धनराशि बैंक/पी.एल.ए./पोस्ट आफिस अथवा डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।

(14) शासनादेश के अनुसार स्वीकृत निर्माण कार्यों के सापेक्ष प्रस्तावित कार्य को पूर्ण कर लिये जाने पर पारदर्शिता तथा सामान्यजन को पूर्ण जानकारी प्राप्त होने के दृष्टिगत पूर्ण कार्यों का विवरण विभागीय वेबसाइट पर जनपदीय अधिकारियों के द्वारा अनिवार्य रूप से अपलोड भी किया जायेगा।

2. उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-83 के लेखाशीर्षक "5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04-जिला तथा अन्य सड़कें-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-07- अंशदायी आधार पर कृषि विपणन के लिये निर्मित सम्पर्क मार्गों का सुदृढ़ीकरण-24-वृहत निर्माण कार्य" के नामें डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-6-171/दस-2020, दिनांक 05 मार्च, 2020 से प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

(संलग्नक-उपर्युक्तानुसार।

भवदीय,

(बच्चू लाल)
संयुक्त सचिव।

संख्या-05/2020/302(1)/46-1-2020-1000(27)/2018, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ.प्र., प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ.प्र., प्रयागराज।
3. महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), उ.प्र., छठां तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ।
4. गन्ना आयुक्त, उ.प्र., लखनऊ।
5. वित्त नियंत्रक, कार्यालय गन्ना आयुक्त, उ.प्र., लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि संदर्भित धनराशि/बजट को सेन्ट्रल सर्वर के माध्यम से जनपदों को आवंटित करने का कष्ट करें।
6. संबंधित जनपदों से सम्बन्धित मण्डलायुक्त।
7. संबंधित जनपदों के जिलाधिकारी।
8. संबंधित जनपदों के कोषाधिकारी।
9. संबंधित क्षेत्रीय उप गन्ना आयुक्त/संयुक्त गन्ना आयुक्त, उ.प्र.।
10. नियोजन अनुभाग-4/ राज्य योजना आयोग-1/2,
11. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1,
12. बजट प्रकोष्ठ/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग ।
13. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सुशील कुमार शुक्ल)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

शासनादेश संख्या-05/2020/302(2)/46-1-2020-1000(27)/2018, दिनांक 05 मार्च, 2020 संलग्नक

क्र.	जनपद का नाम	सम्पर्क मार्ग का नाम	संशोधित विवरण के अनुसार			देय राज्यांश की धनराशि के सापेक्ष प्रथम किस्त के रूप में 50 % अवमुक्त धनराशि (ला.रू.)	देय राज्यांश की धनराशि के सापेक्ष द्वितीय किश्त की धनराशि (ला.रू.)	सेन्टेज की कुल धनराशि (ला.रू.)	सेन्टेज की कुल धनराशि के सापेक्ष प्रथम किस्त के रूप में 50 % अवमुक्त धनराशि (ला.रू.)	सेन्टेज की कुल धनराशि के सापेक्ष अवमुक्त धनराशि (ला.रू.)	मार्ग के निर्माण हेतु सेन्टेज रहित कुल धनराशि ¼yk- :½	मार्ग के निर्माण हेतु सेन्टेज रहित कुल धनराशि के सापेक्ष प्रथम किस्त के रूप में 50% अवमुक्त धनराशि (ला.रू.)	मार्ग के निर्माण हेतु सेन्टेज रहित कुल धनराशि के सापेक्ष अवमुक्त धनराशि (ला.रू.)
			लंबाई (कि.मी.)	अनुमानित लागत (ला.रू.)	लागत पर देय राज्यांश की धनराशि (ला.रू.)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	मु0 नगर	एन.एच. 58 से मेदपुर रेई मार्ग का अवषेष	0.420	10.920	8.736	4.359	4.377	0.958	0.481	0.477	7.778	3.878	3.900
		जनपद का योग	**0.420**	**10.920**	**8.736**	**4.359**	**4.377**	**0.958**	**0.481**	**0.477**	**7.778**	**3.878**	**3.900**
2	बिजनौर	दीत्तनपुर से नंगला भज्जा मार्ग	1.195	39.070	31.256	13.439	17.817	3.426	1.483	1.943	27.830	11.956	15.874
		जनपद का योग	**1.195**	**39.070**	**31.256**	**13.439**	**17.817**	**3.426**	**1.483**	**1.943**	**27.830**	**11.956**	**15.874**
3	अमरोहा	आजमपुर शाहजहॉपुर रोड से पहाड़पुर इनायत मार्ग	0.820	42.829	34.263	15.484	18.779	3.756	1.708	2.048	30.507	13.776	16.731
		जनपद का योग	**0.820**	**42.829**	**34.263**	**15.484**	**18.779**	**3.756**	**1.708**	**2.048**	**30.507**	**13.776**	**16.731**
4	बरेली	मुड़िया नवीबक्स रोड से घाटगाँव	1.400	50.420	40.336	22.003	18.333	4.422	2.427	1.995	35.914	19.576	16.338
5	बरेली	सिल्लापुर से खमरिया (प्रथम भाग) लिंक रोड	0.675	18.740	14.992	8.722	6.270	1.643	0.963	0.68	13.349	7.759	5.590
		जनपद का योग	**2.075**	**69.160**	**55.328**	**30.725**	**24.603**	**6.065**	**3.390**	**2.675**	**49.263**	**27.335**	**21.928**
6	लखीमपुर	टाडा प्रयाग से घोसियाना मार्ग	0.600	30.549	24.439	12.464	11.975	2.679	1.375	1.304	21.760	11.089	10.671
7	लखीमपुर	ज्ञानपुर से पडरिया(महेवागंज) मार्ग	1.500	59.251	47.401	24.36	23.041	5.196	2.687	2.509	42.205	21.673	20.532
		जनपद का योग	**2.100**	**89.800**	**71.840**	**36.824**	**35.016**	**7.875**	**4.062**	**3.813**	**63.965**	**32.762**	**31.203**
8	बलरामपुर	रतनपुर झिन्गहा मार्ग	0.420	17.756	14.205	7.025	7.180	1.557	0.775	0.782	12.648	6.25	6.398
		जनपद का योग	**0.420**	**17.756**	**14.205**	**7.025**	**7.180**	**1.557**	**0.775**	**0.782**	**12.648**	**6.250**	**6.398**
9	बहराइच	नैनिहा चकैया मार्ग से पृथ्वीपुरवा चमारनपुरवा सम्पर्क मार्ग	0.170	7.022	5.618	2.822	2.796	0.616	0.312	0.304	5.002	2.51	2.492
		जनपद का योग	**0.170**	**7.022**	**5.618**	**2.822**	**2.796**	**0.616**	**0.312**	**0.304**	**5.002**	**2.510**	**2.492**
10	बस्ती	बस्ती कांटे मार्ग से ग्राम वायपोखर सम्पर्क मार्ग	0.600	28.650	22.920	11.436	11.484	2.513	1.262	1.251	20.407	10.174	10.233
11	बस्ती	पैकोलिया शिवाघाट से मंसूर नगर तरैनी संपर्क मार्ग का मरम्मत कार्य	0.800	37.290	29.832	14.885	14.947	3.27	1.643	1.627	26.562	13.242	13.320

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

		जनपद का योग	1.400	65.940	52.752	26.321	26.431	5.783	2.905	2.878	46.969	23.416	23.553
		महा योग	8.600	342.497	273.998	136.999	136.999	30.036	15.116	14.920	243.962	121.883	122.079

(रूपये एक करोड़ छत्तीस लाख निन्यानबे हजार नौ सौ मात्र)

(सुशील कुमार शुक्ल)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।